बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०–17/कोर्ट–50/2013–745(17)पटना, दिनांक–02/07/2026

डा० दया ब्रजेश्वर दयाल, तत्कालीन सहायक प्राध्यापक, एफ०एम०टी० विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया सम्प्रति सेवानिवृत को विभागीय निर्देश के बावजूद स्वेच्छा से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली में परीक्षा नियंत्रक के पद पर बने रहने एव पदस्थापित स्थान अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया में योगदान नहीं करने तथा दिनांक–28.02.2007 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प संख्या–368(17) दिनाक–30.04.2010 द्वारा डा० दयाल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम में आरोप को प्रमाणित पाया गया। अतः डा० दयाल को अधिगम की प्रति उपलब्ध कराते हुए विभागीय पत्रांक–253(17) दिनांक–17.02.2012 द्वारा बचाव बयान का उत्तर एक सप्ताह में उपलब्ध कराने हेतु द्वितीय कारण–पृच्छा निर्गत किया गया कि नियत अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होने पर यह माना जायेगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है। निर्धारित अवधि में डा० दयाल का जवाब प्राप्त नहीं हुआ। डा० दयाल द्वारा दिनाक–31.03.2012 को स्पीड–पोस्ट के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब भेजा गया। प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब कालबाधित होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया एवं सेवा से बर्खास्त करने का विनिश्चय किया गया तथा डा० दयाल के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या–80(17) दिनाक–24.01.2013 द्वारा सरकारी सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित किया गया।

3. डा० दया ब्रजेश्वर दयाल द्वारा उक्त अधिरोपित दंड के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका संख्या–19068/2013 दायर की गयी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–23.01.2023 को न्यायादेश पारित किया गया है, जिसका मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

Considering the fact that it is not in dispute that order of punishment has been passed without considering the reply to the show cause filed by the petitioner. The impugned order i.e. resolution contained in Memo No. 17/Misc.1-42/2000(Sec)-80(17) Patna, dated 24.01.2013 issued under the order of the Governor of the Bihar (Annexure – 1 to the writ application) is set-aside and quashed.

It is made clear that since this Court has quashed the order of punishment dated 24.01.2013 (Annexure – 1) on the ground of it being violative of principle of natural justice and against the statutory provisions of C.C.A. Rules, the respondents authorities are at liberty to pass a fresh order after considering the second show cause reply dated 31.03.2012 (Annexure 17 to the writ application) dealing with the defence taken therein by a reasoned and speaking order within a period of three months from the date of receipt production of copy of this order.

The writ application is allowed with aforesaid observation and direction.

4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना संख्या–1101(17) दिनाक–05.10.2025 द्वारा निम्नांकित निर्णय ससूचित किया गया:–

(i) डा० दयाल के विरूद्ध विभागीय संकल्प स0–80(17) दिनाक–24.01.2013 द्वारा अधिरोपित सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति को निरस्त किया जाता है एवं उन्हें बर्खास्तगी की तिथि अर्थात दिनांक–24.01.2013 के प्रभाव से सेवा में पुनर्स्थापित किया जाता है।

(ii) डा० दयाल बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(5) के अधीन सेवा में पुनर्स्थापित होने की तिथि–24.01.2013 से 29.04.2022 तक निलंबित माने जाएंगे। डॉ० दयाल दिनांक–30.04.2022 को निलंबन मुक्त होते हुए सेवानिवृत होंगे।

(iii) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10(2) के अधीन डॉ० दयाल द्वारा निलबन अवधि में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि वे आलोच्य अवधि में किसी अन्य नियोजन, कारोबार, पेशा अथवा व्यवसाय में नहीं लगे रहें है। तद्नुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जाएगा।

(iv) डॉ० दयाल द्वारा दिनाक–31.03.2012 को समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर पर सम्यक् समीक्षोपरान्त अलग से निर्णय संसूचित किया जाएगा।

5. विभागीय अधिसूचना संख्या–1101(17) दिनांक–05.10.2025 की कंडिका–6(iii) के अनुपालन में डा० दयाल द्वारा इस आशय का शपथ पत्र समर्पित किया गया है कि वे दिनांक–24.01.2013 से 29.04.2022 तक की अवधि मे किसी अन्य नियोजन, कारोबार, पेशा अथवा व्यवसाय में नहीं रहे है। DEAN (डीन), आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साईंसेज, नई दिल्ली के पत्रांक–2503/Acad/Gen/ACMS दिनांक–18.07.2023 द्वारा प्रतिवेदित है कि डा० दयाल दिनांक–25.08.2010 से 05.08.2013 तक की अवधि में आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साईंसेज, नई दिल्ली में प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे है। अतः इस प्रकार स्वत. स्पष्ट है कि डा० दयाल द्वारा दिनांक–24.01.2013 से 05.08.2013 तक की अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता की राशि प्राप्त करने हेतु गलत शपथ पत्र समर्पित किया गया है।

6. विभागीय पत्रांक–1119(17) दिनाक–21.12.2010, पत्रांक–1343(17) दिनांक–13 12.2011 एव पत्रांक–253(17) दिनांक–17 02 2012 के अनुपालन में डा० दयाल द्वारा दिनांक–31.03.2012 को द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित किया गया था। समादेश याचिका संख्या–19068/2013 में दिनांक–23.01.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक मे डा० दयाल द्वारा दिनांक–31.03.2012 को समर्पित प्रत्युत्तर की समीक्षा की गयी। डा० दयाल द्वारा दिनांक–31 03 2012 को समर्पित प्रत्युत्तर में उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा गहनाधिकार अवधि को विस्तार करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया था, परन्तु वे विभागीय निर्णय से अनाभेज्ञ रहे। उनके द्वारा उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोप मे न्यायालय मे याचिका दायर किया गया था, जिसके फलस्वरूप संस्थान द्वारा उनको निलंबित कर दिया गया। उन्हे गहनाधिकार समाप्त करने एव अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया मे योगदान करने से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुयी थी।

7. डा० दयाल द्वारा दिनांक–31 03 2012 को समर्पित प्रत्युत्तर में अंकित उपरोक्त तथ्यों की सम्यक् समीक्षा की गयी। सम्यक् समीक्षोपरान्त पाया गया कि विभागीय अधिसूचना सख्या–1307(17) दिनांक–13.12.2003 द्वारा डा० दयाल का गहनाधिकार समाप्त करते हुए अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया में पदस्थापित करते हुए योगदान करने का निदेश दिया गया था, परन्तु उनके द्वारा दिनांक–05.10.2006 को विभाग में योगदान किया गया, इस क्रम में उन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या–1307(17) दिनाक- 13 12 2003 द्वारा गहनाधिकार समाप्त होने की सूचना थी। उनके द्वारा दिनांक–05.10.2006 से 27 02 2007 तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में उपस्थिति दर्ज किया गया है तथा दिनांक–28.02.2007 से पैर मे जख्म का हवाला देकर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं। विभागीय अधिसूचना संख्या–813(17) दिनाक–21 09 2007 के अनुपालन में सेवा से बर्खास्तगी की तिथि–24.01 2013 तक डा० दयाल द्वारा अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया में सहायक प्राध्यापक के पद पर योगदान समर्पित नहीं किया गया।

8. प्रस्तुत तथ्यों से स्वत स्पष्ट होता है कि डा० दयाल विभागीय आदेश की अवहेलना करते हुए स्वेच्छाचारितापूर्वक राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली एवं आर्मी स्कूल ऑफ मेडिकल साईंसेज, नई दिल्ली मे कार्य करते रहे। वे दिनांक–14 12 2003 से 04.10.2006 तक एवं पदस्थापन की प्रतीक्षा में दिनांक–28.02.2007 से 21.09.2007 तक अनुपस्थित रहे हैं। साथ ही दिनांक–22.09.2007 से सेवा से बर्खास्तगी की तिथि–24.01.2013 तक अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया में योगदान नहीं कर कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहे है। फलतः डा० दयाल के द्वारा दिनांक–31.03.2012 को समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर को नियमसगत नही माना जा सकता है, क्योंकि डा० दयाल अनुपस्थित अवधि में अन्य

सस्थानों में कार्यरत रहे हैं। अतः डा० दयाल द्वारा दिनाक–31 03.2012 को समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर को अस्वीकृत करते हुए इनके सेवानिवृति की तिथि–30.04.2022 से ही उपदान सहित शत प्रतिशत पेशन की राशि जब्त करने का विनिश्चय किया जा रहा है।

अतः डा० दया ब्रजेश्वर दयाल, तत्कालीन सहायक प्राध्यापक, एफ०एम०टी० विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया सम्प्रति सेवानिवृत (दिनांक–30.04 2022) के विरूद्ध उक्त प्रमाणित आरोप में बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(B) के अधीन सेवानिवृति की तिथि से उपदान सहित शत प्रतिशत पेंशन की राशि जब्त करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि सकारण आदेश की एक प्रति वादी (आवेदक) को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

ह०/–

(मृणायक दास)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–17/कोर्ट–50/2013 - 745(17) पटना, दिनांक– 02.07.26

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया जी/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02, 03, 07, 08, 09 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा० दया ब्रजेश्वर दयाल, तत्कालीन सहायक प्राध्यापक, एफ०एम०टी० विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया, पत्राचार का पता–विश्वा भवन, जमाल रोड, पटना, पिन कोड–800001, ई०–मेल dbdayal@hotmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– AAG-09/GP-16 माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

02/07/2026

सरकार के विशेष सचिव।